कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 38/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री संदीप सोनी पुत्र श्री रतन लाल सोनी वार्ड नं0 22 सिन्धी मौहल्ला हनुमानगढ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

––प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–21.06.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से पत्र कमांक 2814 दिनांक 19.6.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सुचनार्थ प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के उक्त पत्र कमांक 2814 दिनांक 19.6.2018 के साथ संलग्न पत्र कमांक 2288 दिनांक 07.5.2018 की प्रति का अवलोकन करने से जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी को वांछित बिन्दूओ के संबंध में सूचना/सूचित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official